संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा म.प्र.

विजयाराजे वात्सल्य भवन प्लाट नम्बर 28,जेल रोड अरेरा हिल्स,भोपाल

क्रमांक/पोआ/ 16/1195 भोपाल,दिनांक 19 .5.2016

प्रति,

परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास सेवा,
जिला–समस्त (म.प्र.)

विषयः–आंगनवाडी केन्द्रों में 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों,गर्भवती,धात्री माताओ एवं किशोरी बालिकाओं (सबला) को टेकहोम राशन वितरण के संबंध में ।

संदर्भः–म.प्र.शासन महिला एवं बाल विकास के पत्र क्र.549/प्र.स/मबावि/16,दि. 26.3.16 एवं संचालनालयीन पत्र क्र./पोआ/16/937,939,दिनांक 11.4.16 ।

....

आंगनबाड़ी केन्द्रों में 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती,धात्री माताओ एवं किशोरी बालिकाओं (सबला) को टेकहोम राशन के रूप में पूरक पोषण आहार का प्रदाय एम. पी.एग्रो के माध्यम से किया जा रहा है । एम.पी.एग्रो के द्वारा उत्पादन संयंत्र से टेकहोम राशन के ट्रक रवाना होते ही एसएमएस के माध्यम से जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं परियोजना अधिकारियों को ट्रक क्रमांक,टेकहोम राशन की मात्रा की सूचना दी जा रही है,लेकिन परियोजना अधिकारी सामग्री प्राप्ति के समय परियोजना कार्यालय/गोदाम में उपस्थित नही रहते है एवं ट्रक शीघ्र खाली नही करवाया जा रहा है तथा दो–तीन दिवस तक अनावश्यक रूप से ट्रकों को रोके रखा जा रहा है ।

यह भी देखने में आया है कि परियोजना अधिकारीयों द्वारा समय पर पंचनामा तैयार नही किया जा रहा है तथा ट्रक चालान पर भण्डार पंजी का लेख नही किया जा रहा है और ना ही सुस्पष्ट हस्ताक्षर किये जाते है, जो कदापि उचित नही है । इस संबंध में शासन/संचालनालय स्तर से कई बार स्पष्ट निर्देश जारी किये गये है। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो इस हेतु निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जावें:–

- एम.पी.एग्रो के द्वारा उत्पादन संयंत्र से टेकहोम राशन के ट्रक रवाना होते ही एसएमएस के माध्यम से जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं परियोजना अधिकारियों को ट्रक क्रमांक,टेकहोम राशन की मात्रा की पूर्व सूचना दी जा रही है । सूचना प्राप्त होने पर ट्रक से शीघ्र टेकहोम राशन उतरवाने एवं पंचनामा तैयार करने की प्रारम्भिक तैयारी पूर्ण कर ली जावें । किसी भी स्थिति में ट्रकों को अनावश्यक रूप से नही रोका जावें ।
- परियोजना स्तर पर किन्ही विशेष कारणवश परियोजना अधिकारी स्वयं टेकहोम राशन का ट्रक अनलोड कराने एवं पंचनामा तैयार कराते समय उपस्थित नही हो पा रहे हो तो पूर्व से ही किसी जिम्मेदार कर्मचारी अथवा गोदाम कीपर को लिखित में अधिकृत किया जावें ।

- परियोजना अधिकारी द्वारा टेकहोम राशन प्राप्त होते ही सामग्री की पृविष्टी स्टाक पंजी में अनिवार्य रूप से की जावें तथा चालान में भी स्टॉक पंजी क्र./दिनांक दर्ज किया जावें । टेकहोम राशन प्राप्ति एवं वितरण पंजी का संधारण अनिवार्यतः अपडेट रूप से रखा जावें ।
- परियोजना अधिकारी द्वारा चालान में प्राप्त टेकहोम राशन के पैकेटों की संख्या एवं मात्रा स्पष्ट अंकों में दर्ज की जावें तथा चालान में प्राप्तकर्ता अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम एवं हस्ताक्षर एवं सील स्पष्ट रूप से अंकित की जावें।
- परियोजना अधिकारी द्वारा टेकहोम राशन प्राप्त होने पर चालान एवं पंचनामें की एक प्रति जिला कार्यक्रम अधिकारी को भेजी जावे ताकि जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एम.पी.एग्रो. के टेकहोम राशन के देयको का सत्यापन वास्तव में प्राप्त मात्रा के आधार पर किया जा सके।
- यदि चालान में उल्लेखित मात्रा से कम मात्रा प्राप्त होती है अथवा खराब सामग्री प्राप्त होती है तो इसकी जानकारी चालान में स्पष्ट रूप से अंकित की जावें एवं इसकी सूचना पृथक से महाप्रबन्धक, एमपीएग्रो/ संयुक्त संचालक, (पो.आ) को ईमेल/दूरभाष पर दी जावें।

(पुष्पलता सिंह)
आयुक्त,
एकीकृत बाल विकास सेवा,म.प्र.

पृष्ठां.क्रमांक/पोआ/ 16/1196 भोपाल,दिनांक 19.5.2016

प्रतिलिपिः—

1. महाप्रबन्धक,एम.पी.एग्रो,पंचानन भवन,मालवीय नगर की ओर सूचनार्थ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा जिला— समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एमपीएग्रो के देयकों पर निर्धारित प्रमाण पत्र अंकित कर सत्यापन नही किया जा रहा है और न ही स्पष्ट हस्ताक्षर अंकित किए जाते है। भविष्य में प्रत्येक परियोजना में वास्तविक रूप से प्राप्त टेकहोम राशन की मात्रा के आधार पर देयक जिला कार्यालय की पंजी में प्रविष्टि करते हुये देयक पर निर्धारित प्रमाण पत्र अंकित कर, देयक सत्यापन कर भेजा जाना सुनिश्चित करें। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम अधिकारी की होगी।

आयुक्त,
एकीकृत बाल विकास सेवा,म.प्र.

Jen-Let-2016

(जिला कार्यक्रम अधिकारी हेतु देयक में अंकित करने के लिये प्रारूप)

::प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि देयक में अंकित विभिन्न खाद्य सामग्री की मात्रा परियोजनाओं में प्राप्त हुई है तथा परियोजनाओं के भण्डार पंजी में दर्ज की गई हैं। देयक में उल्लेखित मात्रा प्रमाणित की जाती है तथा देयक जिला कार्यालय की पंजी के पृष्ठ क्रमांक..............पर दिनांक ....को दर्ज किया गया है ।

( )
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास,
जिला–..............................

....

(परियोजना अधिकारी हेतु चालान में प्रमाण पत्र अंकित करने के लिये प्रारूप)

::प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि एकीकृत बाल विकास परियोजना............जिला...... ....को एम.पी.एग्रो इण्डस्ट्रीज की ओर से माह..........................में कुल................. बेग(.................क्विंटल) पोषण आहार अच्छी स्थिति में प्राप्त हुआ, जिसे परियोजना के भण्डार पंजी के पृष्ठ क्र.............दिनांक..................पर दर्ज की गई है ।

( )
परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
जिला–..................................

Jen-Let-2016